कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–17/2020– 751 दिनांक : 17.12.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

गुमला वन प्रमंडल/खूँटी वन प्रमंडल/लोहरदगा वन प्रमंडल/सिमडेगा वन प्रमंडल/जमशेदपुर वन प्रमंडल/सरायकेला वन प्रमंडल/सारण्डा वन प्रमंडल/कोल्हान वन प्रमंडल/पोड़ाहाट वन प्रमंडल/चाईबासा वन प्रमंडल/साहेबगंज वन प्रमंडल/जामताड़ा वन प्रमंडल/पाकुड वन प्रमंडल।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु **रू0 872.645 (आठ करोड़ बहत्तर लाख चौंसठ हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–33/2020–16/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–33/2020–33/आ0 व0प0 दिनांक 10.12.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 872.645 (आठ करोड़ बहत्तर लाख चौंसठ हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796400103	649.101
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796400323	223.544
कुल :–		**872.645**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796400103 एवं 19S240601796400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

5. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

7. इस योजना में प्राकृतिक रुप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे है, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते है। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

12. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

13. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(vi) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vii) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(viii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

14. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

15. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

16. **(i)** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

17. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वितीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(iv) कंडिका–17 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

21. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III)

की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–2341 दिनांक–04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

24. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

25. **जिन स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस एवं प्लॉट नं0 अप्राप्त है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस एवं प्लॉट नं0 उपलब्ध कराने के उपरांत हीं राशि व्यय करेंगे।**

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–17/2020–** 751 दिनांक– 17.12.2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ दुमका / देवघर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–17/2020–** 751 दिनांक– 17.12.2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ खूँटी/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ जमशेदपुर/ सरायकेला/ चाईबासा/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	2020–21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं साम्रग्री	कुल
			38454.00	**13243.14**	**51697.14**
(क)	राँची रीजन				
1	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	200	76.908	26.486	103.394
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	125	48.067	16.554	64.621
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	100	38.454	13.243	51.697
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	125	48.067	16.554	64.621
	योगः–	**550**	**211.496**	**72.837**	**284.333**
(ख)	जमशेदपुर रीजन				
5	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	125	48.067	16.554	64.621
6	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	100	38.454	13.243	51.697
7	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	150	57.681	19.865	77.546
8	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	125	48.067	16.554	64.621
9	पोडाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	125	48.067	16.554	64.621
10	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	113	43.453	14.964	58.417
	योगः–	**738**	**283.789**	**97.734**	**381.523**
(ग)	दुमका रीजन				
11	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	150	57.681	19.865	77.546
12	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	100	38.454	13.243	51.697
13	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	150	57.681	19.865	77.546
	योगः–	**400**	**153.816**	**52.973**	**206.789**
	कुल योगः–	**1688**	**649.101**	**223.544**	**872.645**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : **295.80** कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	887.40	0.00	887.40	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे0	30	8874.00	0.00	8874.00	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान– ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे0 औसतन 6 चेन	12	3549.60	11782.74	15332.34	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	20	5916.00	0.00	5916.00	औसतन 200 पौधे प्रति हे0 रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	11832.00	500.00	12332.00	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे0	6	1774.80	0.00	1774.80	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शेन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	15	4437.00		4437.00	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	591.60	960.40	1552.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	591.60	0.00	591.60	
	योग–		**130.00**	**38454.00**	**13243.14**	**51697.14**	

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	680.00	640.00	1320.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1496.00	0.00	1496.00	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	5	1700.00	0.00	1700.00	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1360.00	0.00	1360.00	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे0 तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2482.00	0.00	2482.00	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**22.70**	**7718.00**	**1140.00**	**8858.00**	
(C)	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2854.30	0.00	2854.30	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग
	योग–		**7.30**	**2854.30**	**0.00**	**2854.30**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3285.00	0.00	3285.00	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग
	योग–		**7.30**	**3285.00**	**0.00**	**3285.00**	
	सकल योग –		**167.30**	**52311.30**	**14383.14**	**66694.44**	

नोटः–

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\Silvicultural Opration\Advance Work\Silviculture Operation C

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना'' (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
(क)	राँची रीजन							
1	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	गुमला वन क्षेत्र	बसिया	तुकई	बसिया–116			50
		गुमला वन क्षेत्र	बसिया	गंगड़ा	बसिया–92			50
		कुरुमगढ़ वन क्षेत्र	चैनपुर	चैनपुर	चैनपुर–114			50
		कुरुमगढ़ वन क्षेत्र	चैनपुर	बरवेनगर	चैनपुर–93			50
							योगः–	200
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	बुण्डू	बुण्डू	बनाबुरु	बुण्डू–82	N23°11'5" E85°31'15"	309, 165, 171	25
		तमाड़	तमाड़	गांगो	तमाड़–179	N22°57'50.11" E85°47'43.74"	785, 786, 894, 1140, 997, 998, 1102, 1107	30
		गिरगा वन प्रक्षेत्र, रनियाँ	रनियाँ	डाहू	रनियाँ–135		1, 52, 196, 1726, 1727, 1758, 1759, 1765, 1774, 1775, 1929, 1933, 2128, 2958, 2999, 3622, 3624, 3388, 4652, 4662, 5651, 5714, 5815, 3946, 3947, 4008. 4101	70
							योगः–	125
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	बनारी	विशुनपुर	बोरांग	विशुनपुर–06	N23°52'42.49" E84°40'37.47"	2	50
		कुडू	कुडू	कुन्दो	कुडू–30	N23°33'44" E84°49'1"	3P	50
							योगः–	100
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	कोलेबिरा	कोलेबिरा	बड़कीटांगर	कोलेबिरा–66	N22°32'55.64" E84°44'42.90"	718, 399, 398, 419, 439	30
		कुरडेग	कुरडेग	टेंसेर	कुरडेग–49	N22°28'33.17" E84°12'48.34"	7597, 7491	50
		कुरडेग	बोलबा	मच्छकट्टा	बोलबा / 47	N22°28'36.77" E84°16'50.74	1749	45
							योगः–	125

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
(ख)	जमशेदपुर रीजन							
5	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	मानगो वन प्रक्षेत्र	पदमदा	लोकरो	पटमदा–151 / 32	N22°54'40.7" E86°20'21.0"	448, 542	50
				जोबा	पटमदा–020 / 33	N22°54'42.5" E86°19'59.6"	377, 27	
		मुसाबनी वन प्रक्षेत्र	डुमरिया	नरसिंहबहाल	घाटशिला–1619	N22°22'51.30" E86°23'42.66"	193, 282, 449, 463, & PF	50
		चाकुलिया वन क्षेत्र	चाकुलिया	दिघी	घाटशिला–346	N22°27'29.83" E86°43'23.92"	R.F.	25
							योगः–	125
6	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	सरायकेला	खरसावाँ	कोन्दाडीह	खर0–145	N22°48'9.7" E85°52'31.1"	1, 2, 3, 4, 294, 285, 234, 320P	100
							योगः–	100
7	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	सामता प्रक्षेत्र, जराईकेला		सामता–02				50
		गुवा प्रक्षेत्र, गुवा		करमपदा–11 अंश				50
		कोयना प्रक्षेत्र, मनोहरपुर		रबंगदा पी0एफ0–11				50
							योगः–	150
8	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	सायतवा वन प्रक्षेत्र, बरकेला	खूँटपानी	सायतवा आर0एफ0 (खूँटपानी)	कोल्हान–22	N22°37'34.33" E85°42'15.33" N22°37'27.29" E85°42'15.83"	-	40
		संतरा वन प्रक्षेत्र, सोनुवा	गोईलकेरा	ईचाहातु पी0एफ0	चक्रधरपुर–19	N22°33'3.04" E85°32'46.34" N22°33'0.90" E85°32'56.65"	345, 305P, 306P, 309P, 310P, 311P	40
		कोल्हान वन प्रक्षेत्र, गोईलकेरा	मनोहरपुर	गनमोर पी0एफ0 (रायडीह)	मनोहरपुर–76	N22°27'30.8" E85°12'51.1" N22°27'35.3" E85°13'18.1"	2469P, 3136P	45
							योगः–	125

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
9	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	केरा वन प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर	बन्दगाँव	इन्दुवाँ		N22°42'31.802" E85°27'45.581"	429, 430, 431, 432, 433, 1314	50
		सोंगरा वन प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर	बन्दगाँव	सोंगरा–06 (तोपाकोचा)		N22°45'08.00" E85°25'58.63"	RF	25
		कुन्दरुगुटू वन प्रक्षेत्र, सोनुवा	सोनुवा	लोंजो डी0पी0 एफ0–15		N22°38'45.48" E85°29'23.86"	3201P	50
							योगः–	125
10	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	चाईबासा प्रक्षेत्र	टोन्टो	सानलिसिया (तालाबुरु)	कोल्हान–606	N22°21'2.53" E85°45'8.10"	2228, 2353, 2194, 2384	31
		चाईबासा प्रक्षेत्र	टोन्टो	ईलिगाड़ा	कोल्हान–557	N22°21'2.53" E85°45'8.10"	2508P	
		हाटगम्हरिया प्रक्षेत्र	मझंगाँव	हेसेलबेरेल	कोल्हान–386	N22°00'51.35" E85°49'58.38" N22°00'56.17" E85°49'50.72" N22°00'56.85" E85°49'41.27" N22°00'43.52" E85°49'41.38" N22°00'44.38" E85°49'50.76"	1, 10, 11, 19, 95	53
		नोवामुण्डी	नोवामुण्डी	सिलपुंजी	कोल्हान–771	N22°11'33.55" E85°25'49.66"	1P, 2, 140, 120	29
							योगः–	113
(ग)	दुमका रीजन							
11	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र बड़हरवा	बरहेट	झिकरा बाँध	बरहेट–28	N24°65'54.26" E87°42'52.74"	64, 73, 78, 145, 284	40
		बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र बड़हरवा	बरहेट	करमटोक	बरहेट–63	N24°40'32.35" E87°25'55.21"	22	15
		बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र बड़हरवा	बरहेट	करनघाटी	बरहेट–9	N24°9'54.68" E87°41'25.68"	142, 67, 222, 234, 257, 272, 337, 456	50
		बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र बड़हरवा	बोरियो	तेतरिया	बोरियो–31	N24°8'22.35" E87°42'18.65"		45
							योगः–	150

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
12	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	कुण्डाहित	फतेहपुर	भातुडीह	धसनियां–31		1, 24, 25, 32/A, 242, 457, 779, 864, 865, 866, 1055, 1057	76
		कुण्डाहित	फतेहपुर	झिनाकी	धसनियां–34		237, 550, 551, 592, 811, 284	24
							योगः–	**100**
13	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	हिरणपुर	लिट्टीपाड़ा	बड़ा कुटलो	सिमलौंग–14	N24°46'47.8" E87°30'32.1"	630, 631, 592, 593, 594, 598, 599, 802, 461	30
		हिरणपुर	लिट्टीपाड़ा	चितलो	सूरजबेड़ा–19	N24°39, 48" E87°37'26"	01, 208, 787, 301	50
		हिरणपुर	लिट्टीपाड़ा	जगतपुर	सूरजबेड़ा–07	N24°39'23" E87°32'09"	391, 278, 395	42
		हिरणपुर	लिट्टीपाड़ा	चान्दपुर (चिन्हपाड़ा)	सूरजबेड़ा–12	N24°38'42" E87°33'07"	01, 91, 92	28
							योगः–	**150**
							कुल योगः–	**1688**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 **दिनांक -** 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64938	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	7,690,800.00 रुपये छहत्तर लाख नब्बे हजार आठ सौ
2	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64940	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI	4,806,700.00 रुपये अडतालीस लाख छः हजार सात सौ

योग: 12,497,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड चौइस लाख सित्तानवे हजार पॉच सौ

17/12/20

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64943	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैंतालीस हजार चार सौ
4	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64945	SDGFOR002 SUSHIL SOREN DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	4,806,700.00 रुपये अडतालीस लाख छः हजार सात सौ
5	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64949	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	4,806,700.00 रुपये अडतालीस लाख छः हजार सात सौ

योग: 13,458,800.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उनसठ लाख छप्पन हजार तीन सौ 25,956,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 59.97.146.255 Run Date: 17/12/2020

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64952	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैंतालीस हजार चार सौ
7	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64957	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	5,768,100.00 रुपये सत्तावन लाख अडसठ हजार एक सौ
8	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64959	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	4,806,700.00 रुपये अडतालीस लाख छः हजार सात सौ

योग: 14,420,200.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड तीन लाख छहत्तर हजार पाँच सौ 40,376,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 59.97.146.255 Run Date: 17/12/2020

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64960	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	4,806,700.00 रुपये अडतालीस लाख छः हजार सात सौ
10	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64962	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	4,345,300.00 रुपये तीरयालीस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ
11	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64963	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	5,768,100.00 रुपये सत्तावन लाख अडसठ हजार एक सौ

योग: 14,920,100.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड बावन लाख छ्यानवे हजार छः सौ 55,296,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64964	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	3,845,400.00 रुपये अडतीस लाख पैंतालीस हजार चार सौ
13	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64965	PKRFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	5,768,100.00 रुपये सत्तावन लाख अडसठ हजार एक सौ
14	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64967	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	2,648,600.00 रुपये छब्बीस लाख अडतालीस हजार छः सौ

योग: 12,262,100.00

क्रमिक योग: रुपये छः करोड पचहत्तर लाख अठावन हजार सात सौ 67,558,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64968	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI	1,655,400.00 रुपये सोलह लाख पचपन हजार चार सौ
16	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64969	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
17	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64970	SDGFOR002 SUSHIL SOREN DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,655,400.00 रुपये सोलह लाख पचपन हजार चार सौ

योग: 4,635,100.00

क्रमिक योग: रुपये सात करोड इक्कीस लाख तिरनावे हजार आठ सौ 72,193,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64971	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,655,400.00 रुपये सोलह लाख पचपन हजार चार सौ
19	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64973	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
20	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64974	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पाँच सौ

योग: 4,966,200.00

क्रमिक योग: रुपये सात करोड इकहत्तर लाख साहठ हजार 77,160,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 59.97.146.255 Run Date: 17/12/2020

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64975	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	1,655,400.00 रुपये सोलह लाख पचपन हजार चार सौ
22	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64977	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	1,655,400.00 रुपये सोलह लाख पचपन हजार चार सौ
23	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64979	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,496,400.00 रुपये चौदह लाख छयानवे हजार चार सौ

योग: 4,807,200.00

क्रमिक योग: रुपये आठ करोड उन्नीस लाख सड़सठ हजार दो सौ 81,967,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

59.97.146.255

Run Date: 17/12/2020

पत्र संख्या - 01/YB-17/2020/751 दिनांक - 17-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64981	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पाँच सौ
25	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64982	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
26	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	64984	PKRFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पाँच सौ

योग: 5,297,300.00

क्रमिक योग: रुपये आठ करोड बहत्तर लाख चौसठ हजार पाँच सौ 87,264,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND